सं. एफ. 12-116/2005- बी टी आई
भारत सरकार
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति विभाग

एन ए आई भवन, जनपथ रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक : ....

लेखा अधिकारी,
वेतन और लेखा कार्यालय,
(अनुभाग) संस्कृति,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

विषय : 2005-2006 के दौरान बौद्ध/तिब्बती संगठनों के विकास हेतु वित्तीय सहायता की केन्द्रीय स्कीम (योजना) अनावर्ती।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत महाबोधि बहूद्देशीय संस्था, अमरावती द्वारा बुद्ध विहार, वातफली, टी क्यू. नेर जिला यवतमाल के लिए .... रु. हेतु राष्ट्रपति की मंजूरी संप्रेषित करने का निदेश हुआ है। उक्त परियोजना कार्यक्रम की लागत के प्रति उपर्युक्त उल्लिखित संगठन के लिए अनुदान की पहली किस्त की .... रु. (.. .... रु.) की धनराशि के भुगतान के लिए भी राष्ट्रपति की मंजूरी भी प्रदान की जाती है।

2. वर्ष 2005-2006 के दौरान संगठन के लिए मंजूर किए गए अनुदान के संगत ब्यौरे इस प्रकार हैं :

अनुदान का प्रयोजन	केन्द्र सरकार का भाग	संगठन का भाग
रखरखाव	रु.	केन्द्र सरकार का एक तिहाई
जोड़	----------------------	
	रु.	

3. अनुदान दो समान किस्तों में जारी किया जाएगा। .... रु. की द्वितीय और अंतिम किस्त संस्था के आनुपातिक भाग और सनदी लेखाकार द्वारा यथाविधि प्रमाणित पिछली किस्त के लेखाओं के विवरण (भुगतान और पावतियॉं) के साथ पूर्ण रूप से तैयार रिपोर्ट और अनुदान की पूर्ण धनराशि का ''उपयोग प्रमाण-पत्र'' प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी। अनुदानग्राही के पास कोई उपयोग प्रमाण-पत्र विचाराधीन नहीं है और इस अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र मंजूरी की तारीख के 12 माह के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। पहले जारी किए गए अनुदान का कोई अव्ययित अधिशेष विचाराधीन नहीं है। यह एक अनावर्ती व्यय है।

4. संस्था/संगठन को अनुदान हेतु एक पृथक लेखा रखना चाहिए और केन्द्र सरकार के अनुदानों से पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से अधिग्रहण की गई सभी परिसंपत्तियों का भी निर्धारित फॉर्म में एक

रजिस्टर रखना चाहिए और जिन प्रयोजनों हेतु अनुदान मंजूर किया गया है, उनसे इतर प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना इन परिसंपत्तियों को समाप्त, ऋणग्रस्त और उपयोग नहीं करना चाहिए।

5. यह धनराशि मुख्य शीर्ष ''2205'' – माँग सं. 20 – संस्कृति विभाग कोड सं. 04.09 – बौद्ध/तिब्बती संस्थाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता – 04.09.31 – सहायता–अनुदान (योजना) – 2005–2006 (योजना) अनावर्ती के नामे डाला जाएगा।

6. प्रश्नगत धनराशि डी. डी. ओ. (अनुदान), संस्कृति विभाग द्वारा आहरित की जाएगी और अनुदानग्राही को आर टी आर/डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भुगतान की जाएगी।

7. यह प्रमाणित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ऊपर उल्लिखित स्कीम के अंतर्गत सहायता के तरीके को पहले ही अनुमोदन दे दिया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान को स्कीम के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार जारी किया जा रहा है। यह मंजूरी, प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुए और आंतरिक वित्त प्रभाग के उनकी दिनांक 27.6.2005 की डायरी सं. 1802/2005/आई एफ डी और पी एंड बी प्रभाग के उनके दिनांक 5.7.2005 की डायरी सं. 369/2005/पी एंड बी के जरिए दिए गए परामर्श से जारी की जाती है।

8. अनुदानग्राही संस्था/संगठन ए. जी. महाराष्ट्र, मुम्बई के लेखा सर्किल में स्थित है और इस पत्र की एक प्रति उन्हें भेजी जा रही है।

भवदीय,

(रमेश चंद)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : 23070790

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :</u>

1. **अध्यक्ष, महाबोधि बहूद्देशीय संस्था, अमरावती द्वारा बुद्ध विहार, वातफाली, टी क्यू. नेर जिला यवतमाल, महाराष्ट्र।**

उनसे अनुरोध है कि वे इस पत्र के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सभी प्रकार से यथाविधि पूर्ण निम्नलिखित दस्तावेजों को इस विभाग को अवश्य भेजें।

i) मूल दस्तावेज (जैसे पंजीकरण प्रमाण–पत्र, संविधान और अनुदानग्राही द्वारा संगठन का संगम–ज्ञापन इत्यादि)।

ii) स्टांप कागज (स्टैम्प पेपर) पर सभी प्रकार से यथाविधि पूर्ण बांड। यह अवश्य नोट किया जाए कि बांड के प्रत्येक पृष्ठ पर संगठन के चेयरमैन/अध्यक्ष/निदेशक स्याही (इंक) के उपयोग से अवश्य हस्ताक्षर किए जाएँ।

iii) चेयरमैन/अध्यक्ष/निदेशक द्वारा यथाविधि पूर्ण और हस्ताक्षरित .... रुपयों की टिकट सहित रसीद (प्रीस्टैम्प्ड रिसीट) दो प्रतियों में। यह अवश्य नोट किया जाना चाहिए कि मूल टिकट सहित रसीद पर 1 रु. के रसीदी टिकट पर भी अवश्य हस्ताक्षर होने चाहिएँ।

iv) बांड के साथ, अनुबंध में उल्लिखित निबंधन और शर्तों को स्वीकार करते हुए संगठन की कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड द्वारा यथाविधि पारित संकल्प (संकल्प फॉर्म संलग्न है)।

अनुदानग्राही यह भी नोट करे कि :

(क) संस्था/राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र के भाग सहित अनुदान की पूर्ण धनराशि के उपयोग प्रमाण-पत्र सहित लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण और एक प्रमाण-पत्र कि कार्य को संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर लिया गया है, वित्त वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् संस्कृति विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(ख) संस्था/संगठन द्वारा रखे गए परिसंपत्तियों और लेखाओं के रजिस्टर की जाँच संस्कृति विभाग के अधिकारी/भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेंगे।

2. सहायता अनुदान बिल की दो प्रतियों सहित इस पत्र की एक अतिरिक्त प्रति सहित डी. डी. (अनुदान) और पी एस आर सहित आर टी आर ड्राफ्ट के लिए एक माँग।
3. लेखा-परीक्षा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), आई. पी. एस्टेट, आई. टी. ओ., नई दिल्ली।
4. मंजूरी फोल्डर।
5. महालेखाकार (ए एंड ई) मुम्बई, महाराष्ट्र।

(रमेश चंद)
अवर सचिव, भारत सरकार